झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/204/2018/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के अधीन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत 6 अदद् आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू0 171.31 लाख (रू0 एक करोड़ इकहत्तर लाख इकतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के अधीन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत 6 अदद् आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू0 171.31 लाख (रू0 एक करोड़ इकहत्तर लाख इकतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. योजनाओं की कुल लागत राशि रू॰ 171.31 लाख है। उक्त योजना से पूर्ण होने के उपरांत लगभग 132 हे॰ खरीफ एवं लगभग 38 हे॰ रब्बी लगभग कुल 170 हे॰ सिंचन क्षमता के पुनर्जीवित होने का अनुमान है। प्रस्ताव का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 100300/–प्रति हेक्टेयर आकलित है। योजनावार विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I पर संलग्न है।

4. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है–

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री–लेवल की जांच असम्बंद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

(iii) सूची में उल्लेखित योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(iv) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(v) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदो का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

(vi) वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कराया जायगा जिस योजना पर विगत पाँच वर्षो में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है।

(vii) योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(viii) उपरोक्त कंडिका '4' (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) & (vii) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

5. इन योजनाओं पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45 निर्माण कार्य'' अंतर्गत रू0 171.31 लाख भारित हो सकेगा।

6. इन योजनाओं को वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण कराने का प्रस्ताव है।

7. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

8. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री, का अनुमोदन प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:– परिशिष्ट–I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/204/2018/../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/204/2018/../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:–परिशिष्ट–I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/204/2018/../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु0:– परिशिष्ट–I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/204/2018/../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–परिशिष्ट–I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/204/2018/../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/204/2018/ 1318-1959-स्वी. /राँची, दिनांक 26.06.2018

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

26/06/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)
26/06/18

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आहर जीर्णोद्धार कार्य की विवरणी :–

क्र0 सं0	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	जिला	योजना का नाम	प्रखंड	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	सिंचन क्षमता (हे0)			इंसिडेस ऑफ कॉस्ट (लाख प्रति हे0)	B.C. Ratio	अभि0
						खरीफ	रब्बी	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु सिंचाई प्रमंडल गिरिडीह	गिरिडीह	असको पंचायत के खोजोटोल ग्राम अन्तर्गत नवका आहर का जीर्णोद्धार	देवरी	47.807	40	10	50	0.956	1.71	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल गिरिडीह	गिरिडीह	असको पंचायत के खोजोटोल ग्राम अन्तर्गत पुराना आहर का जीर्णोद्धार	देवरी	15.492	13	3	16	0.968	1.65	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल गिरिडीह	गिरिडीह	हरला पंचायत के हरला ग्राम अंतर्गत गड़ा आहर का जीर्णोद्धार	देवरी	16.988	15	4	19	0.894	1.77	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल गिरिडीह	गिरिडीह	चरघरा पंचायत के चरघरा ग्राम अंतर्गत हरनासिंघा आहर का जीर्णोद्धार	जमुआ	41.488	30	7	37	1.121	1.48	
5	लघु सिंचाई प्रमंडल गिरिडीह	गिरिडीह	चरघरा पंचायत के चरघरा ग्राम अंतर्गत बलवा आहर का जीर्णोद्धार	जमुआ	33.648	24	9	33	1.019	1.55	
6	लघु सिंचाई प्रमंडल गिरिडीह	गिरिडीह	चिलगा ग्राम अंतर्गत चिलगा आहर का जीर्णोद्धार	गिरिडीह	15.890	10	5	15	1.059	1.56	
				योग	**171.313**	**132**	**38**	**170**	औसत 1.003		
				अर्थात	**171.31**						

पत्रांक - 13/18-19 प्र. स्वी: दिनांक 26.06.2018

26/06/2018
उप सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग, राँची
26/06/18